न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–21/2019–20

देवानन्द विश्वकर्मा वगै0 .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिक देवानन्द विश्वकर्मा, पिता– पारो मिस्त्री, ग्राम– जरमुने, टोला– मंझिलाडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **285 R27/2019-20** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	223	1627	03 डी0
जरमुने	108	223	1640	01 डी0
जरमुने	108	223	1639	2.66 डी0
जरमुने	108	223	1674	2.33 डी0
जरमुने	108	223	1696	1.33 डी0
जरमुने	108	223	1693	0.83 डी0
जरमुने	108	223	2380	2.66 डी0
जरमुने	108	223	2653	0.66 डी0
जरमुने	108	330	1718	09 डी0
जरमुने	108	330	1722	04 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **285 R27/2019-20** में दिनांक 08.02.2020 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन खाता संख्या 330 का जमाबंदी दर्ज नहीं रहने के कारण नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से संबंधित ऑनलाईन जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराया गया है जिसमें खाता नं0 330 में लुटन बढ़ही पिता रूपदेव बढही के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **285 R27/2019-20** में दिनांक 08.02.2020 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)